

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:- नर्सिंग / Zone Jodhpur/ (31519)/2024 / 21

दिनांक:- 15/01/2025

-आदेश-

निम्नांकित नर्सिंग ऑफिसर का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2024-25 में एमएससी नर्सिंग कोर्स में चयन किये जाने के उपरान्त प्रशिक्षण निम्नांकित शर्तों पर अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	आवंटित कॉलेज	कोर्स का नाम
1	रीनू कुमारी	नर्सिंग ऑफिसर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारू ब्लॉक बाप जिला जोधपुर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जयपुर	दिनांक 13.11.2024 से 12.11.2026 तक 02 वर्षीय एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम

शर्त-

- संबंधित कार्मिक का आवेदन सक्षम स्तर से आरयुएचएस को अग्रेषित किया गया हो।
- कार्मिक को नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवा होगा। उच्च अध्ययन / तकनीकी प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 5.7.2022 आदेश क्रमांक 22.12.2022 एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक 133 दिनांक 09.09.2022 में उल्लेखित शर्तों की पालना की जावेगी।
- प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक अविलम्ब निदेशालय में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
- उक्त प्रशिक्षण हेतु राजस्थान सेवा नियम 110-112 के अनुसार पूर्व में जिन कार्मिकों का राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुये पोस्ट बीएससी/एमएससी नर्सिंग प्रतिनियुक्ति की है की प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हे पोस्ट बेसिक बीएससी/एमएससी नर्सिंग प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवेतनिक/असाधारण) पर प्रशिक्षण करना होगा एवं चयनित कर्मियों द्वारा आवश्यक शपथ पत्र दिये जाने पर ही प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जावेगा।
- राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग / Zone Jodhpur/ (31519)/2024 / 21

दिनांक:- 15/01/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सह चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरौही
- प्रधानाचार्य, टेगौर नर्सिंग कॉलेज, मानसरोवर, जयपुर।
- संबंधित नर्सिंग कर्मियों को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी के।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed ✓ Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-01-2025 03:15:12

E- File/Order 2024

RajKaj Ref No.: 12949981